

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर


आज्ञा

क्रमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 960 /2022 दिनांक 24.03.2022

श्री सानुज कुलश्रेष्ठ (RJ0645), विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.) प्रकरण, बारां को दिनांक 04.04.2022 से 08.04.2022 तक 05 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 02.04.2022 से 03.04.2022 एवं 09.04.2022 से 10.04.2022 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री कुलश्रेष्ठ की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-01, बारां इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.) प्रकरण, बारां के पद पर ही होने की संभावना है।


आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 23.03.2022

क्रमांक:-स्था.बी.2(4)/13/2011/222\

दिनांक 24.03.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बारां को उनके पत्रांक 706 दिनांक 08.03.2022 के सन्दर्भ में।
3. श्री सानुज कुलश्रेष्ठ (RJ0645), विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.) प्रकरण, बारां।
4. विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.) प्रकरण, बारां।
5. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-01, बारां।


23.3.2022
सहायक रजिस्ट्रार